

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—ई—20 / M-13/nursing/ajmer/-25485 / 2024 / 38

दिनांक :- 23/01/2024

आदेश

निम्नांकित नर्सिंग कार्मिकों को एम0एस0सी0 नर्सिंग सत्र 2023-24 कोर्स हेतु चयन उपरान्त आर यू एच एस जयपुर के द्वारा नर्सिंग कॉलेज आवंटन होने पर इस आदेश में वर्णित शर्तों की पालना के आधार पर संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को उनके अधीनस्त पदस्थापित नर्सिंग अधिकारियों को कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	पदस्थापन स्थान	आंवटित कॉलेज	कोर्स का नाम
1	मीना कुमारी	नर्सिंग अधिकारी	अधीक्षक महाराव भीमसिंह चिकित्सालय कोटा	झालावाड नर्सिंग कॉलेज, पाटन झालावाड	एम.एस.सी
2	दिपिका बैरवा	नर्सिंग अधिकारी	अधीक्षक महाराव भीमसिंह चिकित्सालय कोटा	झालावाड नर्सिंग कॉलेज, पाटन झालावाड	एम.एस.सी
3	संजू कुमारी जाट	नर्सिंग अधिकारी	एम.बी.एच.होस्पिटल उदयपुर	राजकीय नर्सिंग कॉलेज, जयपुर	एम.एस.सी
4	सीताराम कंसल	नर्सिंग अधिकारी	एसएमएस जयपुर	राजकीय नर्सिंग कॉलेज एस.पी. मेडिकल कॉलेज धीकानेर	एम.एस.सी
5	महेश कुमार	नर्सिंग अधिकारी	एस.एम.एस. जयपुर	धनवंतरी इन्टी.मेडिकल साईंस मानसरोवर जयपुर	एम.एस.सी
6	श्रीमति मीनाक्षी मुण्डोतियाँ	नर्सिंग अधिकारी	जयपुर	राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय, जेएलएन मार्ग, एसएमएस, जयपुर	एम.एस.सी
7	श्री राजेन्द्र कुमार	नर्सिंग अधिकारी	राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय नागौर	राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय अजमेर	एम.एस.सी
8	श्री दीपक पारीक	नर्सिंग अधिकारी	राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय नागौर	राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जेएलएन मार्ग जयपुर	एम.एस.सी
9	श्री नरेश कुमार टेलर	नर्सिंग अधिकारी	राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय नागौर	राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जेएलएन मार्ग जयपुर	एम.एस.सी
10	सुश्री अनिता रैदास	नर्सिंग अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़	देगौर नर्सिंग कॉलेज जयपुर	एम.एस.सी
11	श्रीमती सरिता कुमारी	नर्सिंग अधिकारी	सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय जयपुर	उपचार नर्सिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग मानसरोवर जयपुर	एम.एस.सी
12	श्रीमती हेतन्त कुमारी	नर्सिंग अधिकारी	जे.के. लोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कोटा 5542	गर्वमेन्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एम.बी.एस. होस्पिटल, कोटा	एम.एस.सी
13	श्री सतीश शर्मा	नर्सिंग अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जेएलएन मार्ग जयपुर	एम.एस.सी

14	श्री कपिल कुमार शर्मा	नर्सिंग अधिकारी	करौली	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, करौली	राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जेएलएन मार्ग जयपुर	एम.एस.सी
15	श्री नीरज कुमार भामोरिया	नर्सिंग ऑफिसर		प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, धौलपुर	राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जेएलएन मार्ग जयपुर	एम.एस.सी
16	सुमित कुमार	नर्सिंग ऑफिसर		प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, धौलपुर	राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जेएलएन मार्ग जयपुर	एम.एस.सी
17	श्री रवि कुमार स्वामी	नर्सिंग ऑफिसर		सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जेएलएन मार्ग जयपुर	एम.एस.सी

शर्त:-

- संबंधित कार्मिक का आवेदन सक्षम स्तर से आरयूएचएस को अग्रपिछित किया गया हो।
- कार्मिक को नियमानुसार अवकाश स्वीकृत करवाना होगा। उच्च अध्ययन/तकनीकी/प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम हेतु राज्य सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
- श्रीमान शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप -2) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 05.07.2022, आदेश क्रमांक दिनांक 22.12.2022 एवं निदेशालय क आदेश क्रमांक 133 दिनांक 09.09.2022 में उल्लेखित शर्तों की पालना की जायेगी।
- प्रशिक्षण समाप्त होने पर कार्मिक तुरन्त निदेशालय में अपनी उपस्थिति देगा अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- कार्मिक द्वारा प्रशिक्षण के उपरान्त किसी भी प्रकार की पदोन्नति/वित्तीय लाभ अथवा उच्च पद वेतनमान की मांग नहीं करेगा।
- संबंधित प्रशिक्षण हेतु राजस्थान सेवा नियम 110-112 के अनुसार पूर्व में जिन कार्मिकों का राज्य सेवा में कार्यरत रहते हुये पोस्ट बीएससी/एमएससी नर्सिंग प्रतिनियुक्ति की है, की प्रतिनियुक्ति अवधि को वित्त विभाग के निर्देशानुसार अध्ययन अवकाश नहीं माने जाने के कारण इन्हे पोस्ट बेसिक बीएससी/एमएससी नर्सिंग प्रशिक्षण स्वयं के बकाया अवकाश (समर्पित/अर्द्धवैतनिक/असाधारण) पर प्रशिक्षण करना होगा एवं चयनित कर्मियों द्वारा आवश्यक शपथ पत्र दिये जाने पर ही प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त किया जावेगा।
- राजस्थान सेवा नियम में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण पालना की जावेगी।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक :- 23/01/2024

क्रमांक:-ई-20 / M-13/nursing/ajmer/25485 / 2024 / 38

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान।
- सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
- सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
- सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
- सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
- सम्बन्धित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
- सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजस्थान।
- संबंधित कार्मिकों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
- आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
5375542

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh

Kumar Naval

Designation : Director

Date : 23-01-2024 10:42:54